भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *428

(01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत पेंशन का भुगतान

***428. श्री इमरान मसूद:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना सहित विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत जिला स्तर पर आवेदन स्वीकृत होने के पश्चात् सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) , भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) तथा आधार सीडिंग के नाम पर राज्य स्तर पर पेंशन के भुगतान में होने वाले अत्यधिक विलंब की समस्या का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ख) उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले सहित विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसी योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत आवेदनों तथा लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित पेंशन राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

एनएसएपी के अंतर्गत पेंशन का भुगतान के संबंध में लोक सभा में दिनांक 01.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या *428 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) एक मजबूत वेब पोर्टल अर्थात एनएसएपी - पीएफएमएस से जुड़ी पेंशन भुगतान प्रणाली (एनएसएपी-पीपीएस) को सरकार द्वारा चालू कर दिया गया है और इसे एनएसएपी योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए पूर्णत : डिजिटल समाधान के रूप में राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान किया गया है। यह पोर्टल अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से पेंशन का त्वरित संवितरण करता है तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। स्वीकृति, भुगतान और संवितरण प्रक्रिया में कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए , एनएसएपी के कार्यान्वयन में लाभार्थी डेटा से आधार को जोड़ा गया है। हालांकि, एनएसएपी दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि किसी भी लाभार्थी को इस आधार पर उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा कि उसके पास बैंक/डाकघर खाता और/या आधार संख्या नहीं है। सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए हैं कि प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण के उपयोग से लाभार्थियों को लाभ देने में कोई रुकावट न आए।

(ख) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के दिशानिर्देशों के अनुसार, लाभार्थियों की पहचान/चयन, आवेदनों के सत्यापन , मंजूरी और अंतिम लाभार्थियों तक पेंशन संवितरण के लिए पूरी तरह से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ही उत्तलरदायी हैं। एनएसएपी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एनएसएपी-पीपीएस का उपयोग करने वाले राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएफबीएस सहित एनएसएपी योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्राप्त और स्वीकृत आवेदनों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है। उत्तर प्रदेश सहित कुल 14 राज्य एनएसएपी के कार्यान्वयन के लिए अपने स्वयं के एमआईएस का उपयोग कर रहे हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय निधियां लाभार्थियों की राज्य की अधिकतम सीमा अथवा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशेष के डिजिटल लाभार्थियों के आंकड़े, जो भी कम हो, के आधार पर आवंटित की जाती हैं। इसके अलावा, केंद्रीय निधियां राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को तिमाही आधार पर जारी की जाती हैं और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा आगे इसका संवितरण जिला/ब्लॉक/गांव/वार्ड स्तर पर किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई योजना-वार निधियां **अनुबंध-II** में दी गई है।

*****

अनुबंध-I

"एनएसएपी के तहत पेंशन का भुगतान " के संबंध में लोक सभा में दिनांक 01.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 428 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएफबीएस सहित एनएसएपी योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्राप्त और स्वीकृत आवेदनों का विवरण

एनएसएपी-पीपीएस का उपयोग करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र						
योजना	**प्राप्त आवेदन**			स्वीकृत		
	नए आवेदन	पुराना डेटा (स्थानांतरित)	कुल	नए आवेदन	पुराना डेटा (स्थानांतरित)	कुल
राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना	466767	760482	1227249	360151	760482	1120633
राष्ट्रीय विधवा योजना	90396	273452	363848	76193	273452	349645
राष्ट्रीय दिव्यांगजन योजना	15261	15611	30872	10705	15611	26316
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	138047	117735	255782	131862	117735	249597
कुल	**710471**	**1167280**	**1877751**	**578911**	**1167280**	**1746191**

*स्रोत डेटा: **एनएसएपी-पीपीएस**

अनुबंध-II

"एनएसएपी के तहत पेंशन का भुगतान" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 01.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 428 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना-वार जारी की गई निधियां

योजना	**जारी निधियां (करोड़ में)**		
	2021-22	**2022-23**	**2023-24**
राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना	5806.38	6827.56	6778.48
राष्ट्रीय विधवा योजना	1769.19	2086.99	2009.80
राष्ट्रीय दिव्यांगजन योजना	237.39	278.57	310.47
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	339.25	458.88	336.48
कुल	**8152.21**	**9652.00**	**9435.23**

***